



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2013—चैत्र 15, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच (13).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ज) और धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14-पांच-एस-आर, दिनांक 7 जनवरी, 1960 द्वारा बनाए गए नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, शीर्षक (ग) “सामान्य अनुज्ञित शर्तें” के अधीन.—

शर्त क्रमांक सोलह में, शब्द “कलक्टर” के स्थान पर, शब्द “आबकारी आयुक्त” स्थापित किए जाएं।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2012 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्र. बी-1-36-2012-2-पांच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2012-2-पांच (13), दिनांक 5 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 5th April 2013

No. B-1-36-2012-2-V (13).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2), read with proviso to sub-section (3) of Section 62 and of Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the rules made vide this Department's Notification,s Number 14-V-S-R, dated 7th January, 1960, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules, under the heading (c) “General Licence Condition”—

In condition number XVI, for the word “Collector”, the words “Excise Commissioner” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April 2012.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl. Secy.